


## आदेश

पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय पर्वदों से प्राप्त मनोनयन के समीक्षोपरान्त महानिदेशक पर्वद की दि०-14.05.2019 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-3 में अंकित कारणों से ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ को लंबित/अयोग्य/विचारण की परिधि से बाहर रखा जाता है :-

क्रम सं०	पदनाम/नाम/जन्मतिथि/वर्तमान पदस्थापन	ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ लंबित रखने का कारण
1	2	3
1	पु०नि० गगन कुमार सुधाकर/11.11.1964/समस्तीपुर	ए०सी०आर० अनुपलब्ध।
2	पु०नि० मो० कमाल अख्तर/06.07.70/दरभंगा	ए०सी०आर० अनुपलब्ध।
3	पु०नि० सुनील कुमार पासवान/28.01.70/कटिहार	विभागीय कार्यवाही लंबित
4	पु०नि० अनिल कुमार सिंह/04.05.67/अररिया	सेवाभिलेख अपूर्ण/अस्पष्ट होने के कारण समीक्षाधीन।
5	पु०नि० कमल किशोर सिंह/02.11.70/रेल जिला मुजफ्फरपुर	सेवाभिलेख अपूर्ण/अस्पष्ट होने के कारण समीक्षाधीन।
6	पु०नि० संजय कु० झा/15.01.66 बेगूसराय	विचारण की परिधि से बाहर
7	से०नि०पु०नि० मो० सफिउल्लाह 05.06.57/समस्तीपुर/30.06.17	द्वितीय ए०ए०सी०पी० विलम्ब से मिलने के कारण तृतीय ए०ए०सी०पी० की देय तिथि से पूर्व कर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः विचारण की परिधि से बाहर।
8	पु०नि० अनमोल कुमार/27.07.64/पूर्णियाँ	प्रथम विलम्ब से मिलने के कारण द्वितीय की अवधि पूर्ण नहीं है। (विचारण की परिधि से बाहर)
9	पु०नि० सिकन्दर मंडल/01.01.66/पूर्णिया	प्रथम विलम्ब से मिलने के कारण द्वितीय की अवधि पूर्ण नहीं है। (विचारण की परिधि से बाहर)

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

  
अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 264/427639/पी-1  
4-9-01-18

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।


पटना दिनांक 07/06/2019

प्रतिलिपि:-

- सभी सम्बन्धित पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- सभी संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेलवे एवं सभी इकाई सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

— निदेश दिया जाता है कि क्रम संख्या-1 एवं 2 के पदाधिकारियों का ए०सी०आर० के साथ मनोनयन समर्पित किया जाय। ए०सी०आर० अनुपलब्ध होने की स्थिति में विशेष चारित्री आलेखित करते हुए मनोनयन भेजा जाय। क्रम संख्या-3 के पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाँच कार्यवाही को यथाशीघ्र निष्पादित किया जाय। क्रम संख्या-4 एवं 5 के पदाधिकारियों की सेवापुस्त समीक्षा हेतु उपलब्ध करायी जाय।

- आई०टी० मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

  
अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),  
बिहार, पटना।